# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
## समक्ष : मनोज गोयल,
## अध्यक्ष

अपील प्रकरण क्र.451–एक/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–1–2006 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण कमांक 213/अपील/2003–04.

.....

रामेश्वर पिता रणछोड़लाल धाकड़,
निवासी सब्जीमण्डी उन्हेल तहसील खाचरौद,
जिला उज्जैन

..... अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा खनिज निरीक्षक उज्जैन

..... प्रत्यर्थी

.....

श्री अखलाक कुरैशी, अभिभाषक–अपीलार्थी

.....

## :: आदेश ::

( आज दिनांक 3/11/16 को पारित )

यह अपील, अपीलार्थी द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा ) की धारा 44(2) के अंतर्गत आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–1–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि खनिज निरीक्षक द्वारा दिनांक 13–7–1996 को स्थल निरीक्षक किये जाने पर अपीलार्थी द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना पाते हुये प्रतिवेदन अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 275/अ–67/1995–96 दर्ज कर 30–5–2001 को आदेश पारित कर अपीलार्थी द्वारा 840 टन पत्थर का अवैध उत्खनन किया जाना

पाते हुये उसका बाजार मूल्य रुपये 14,397/– की दोगुनी राशि 28,795/– रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर वसूल किये जाने के आदेश दिये गये । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 9–1–2006 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि खनिज निरीक्षक द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष कथन में रेत का अवैध उत्खनन किया जाना बतलाया गया है जो कि कारण बताओं सूचना पत्र के विपरीत कथन है। इस आधार पर कहा गया कि अपर कलेक्टर के समक्ष खनिज निरीक्षक द्वारा अपीलार्थी की ओर से अवैध उत्खनन किया जाना सिद्ध नहीं किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी द्वारा उसकी ही भूमि से उत्खनन किया गया है, जो कि अवैध उत्खनन की परिधि में नहीं आता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर कलेक्टर द्वारा बिना अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये उस पर अर्थदण्ड अधिरोपित करने में त्रुटि की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा अपर कलेक्टर को प्रकरण स्थानान्तरित कर देने से अपर कलेक्टर को प्रश्नाधीन सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है, इसलिये अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश अवैधानिक आदेश है, जिसकी पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

4/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का विधिवत् समुचित अवसर देते हुये साक्ष्य से अपीलार्थी द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना प्रमाणित किया गया है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी पर अर्थदण्ड अधिरोपित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा भी कों

त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–01–2006 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर